ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.17 से 31.03.18

भाग- एक

1 प्रस्तावना:-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्र० सं	नाम	अवधि
1	श्रीमति रजनी बाला	01-04-17 से लगातार

सचिवः

क्र० सं	नाम	अवधि
1	श्री कमल कान्त	01-04-17 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर के लेखाओं अवधि 01.04.17 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	अनुदान का उपयोग न करना।	22.73
2	8	पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली हेतु	0.21

3	9	निर्माण कार्य के लिए जारी सामग्री में से शेष बची सामग्री का लेखांकन न करने के कारण अपव्यय	0.02

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:

ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा का अंकेक्षण 31-03-17 तक विभाग द्वारा किया जा चुका है व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि०प्र० के ज्ञापन संख्या: फिन (एल०ए०) एच(2) सी(15)(14)314/2017 -खण्ड-1-6429-6430 दिनांक 04-10-2108 के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री श्रीराम सुनील, अनुभाग अधिकारी तथा श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03-01 -2019 से 05-01-2019 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	आय	व्यय
2017-18	08/2017	08/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:

ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.17 से 31.03.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5,400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009" को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:FIN/LAD/HMR/2018-179 दिनांक 05/01/2019 के अन्तर्गत अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को के०सी०सी०बैंक बीर बगेहड़ा के माँग ड्राफ्ट संख्या: 182025 दिनांक 17-01-2019 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 वितीय स्थिति:

ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/17 से 31/03/18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी: -

(1) स्वस्त्रौत:

ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/17 से 31/03/18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण: -

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2017-18	139741	469643.11	609384.11	389771	219613.11

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/17 से 31/03/18 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष ₹	प्राप्ति ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2017-18	2297459.18	3530707.52	5828166.7	3555628	2272538.52

(3) दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर टिहरा के बैंक खातों में अन्तिम शेषों का विवरण:

क्रम संख्या	बैंक	शीर्ष	बैंक खाता संख्या:	राशि ₹
1	KCCB Bir Bagehra	GCB- A	20133001684	212873.11
2	KCCB SUJANPUR	GCB-B	20042005171	309916.00
3	PNB SUJANPUR	Do	890000105065024	1355.64
4	KCCB Bir Bagehra	Do	50051227907	14744.00
5	HDFC SUJANPUR	Do	50100159693619	192585.60

6	HDFC SUJANPUR	Do	50100159694368	109384.00
7	HDFC SUJANPUR	Do	50100159693786	25541.00
8	PNB SUJANPUR	13TH	890000105042528	2891.64
9	HDFC SUJANPUR	SBM	50100159693572	351.00
10	PNB JANGAL-BERI	SBM	1726000105073877	108301.00
11	HDFC SUJANPUR	14TH FC	50100159694190	10518.00
12	PNB JANGAL-BERI	Do	1726000105073868	1493602.00
13	PNB SUJANPUR	IAY	890000105065015	3348.64
	TOTAL BALANCE			**2485411.63**
	CASH IN HAND			6740.00
	G.TOTAL			**2492151.63**

5 बैंक समाधान विवरणी:

पैरा 4(1) स्व स्त्रोत: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'क' का अंतिम शेष	219613.11
पैरा 4(2)अनुदान: दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता 'ख' का अंतिम शेष	2272538.52
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष**	**2492151.63**
दिनांक **31-03-2018** को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(3) के अनुसार खाता 'क' व 'ख' का कुल अंतिम शेष	**2485411.63**
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष	6740.00
दिनांक 31-03-2018 को हस्तगत शेष सहित कुल बैंक शेष	**2492151.63**
अंतर की राशि	**00**

5.1 एक से अधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करना : –

ग्राम पंचायत की रोकड़ वहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान एक से अधिक रोकड़ बहियों (जैसे: स्व स्त्रोत व कुछ अनुदान, एसबीएम, एसडीपी, वित आयोग व मनरेगा) का निर्माण किया गया था तथा पैरा 4(3) के अनुसार 13 बैंक खाते खोले गए थे। जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अंतर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने, का प्रावधान है। परंतु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार वर्तमान में इन अलग-2 रोकड़ बहियों का निर्माण करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इन अतिरिक्त रोकड़ वहियों को बंद करते हुये इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः -

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 में रोकड़ बही बनाने संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं। पंचायत द्वारा संधारित अभिलेख व रजिस्टरों में कुछ ओवर राइटिंग की गई थी, जबकि उक्त नियम प्रावधानानुसार अधिलेखन और मिटाना सर्वथा निषिद्ध था। नियमानुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या और तारीख लिखी जानी अपेक्षित थी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वह व्यय प्राधिकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इन नियम प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी। इस प्रकार रोकड़ बहियों का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: रोकड़ बहियों को नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इनका निर्माण तुरंत प्रभाव से हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 6 व 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.3 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) सहपठित नियम 4 के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया है। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते तैयार कर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त

स्व: स्त्रोत आय को खाता-क व अनुदानों को खाता–ख में जमा करना सुनिश्चित किया जाए I

5.4 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:

पंचायत की सामान्य रोकड़ वही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्धारित सीमा ₹1000 से अधिक की राशि को हस्तगत रखा गया था, जोकि {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: नियमों के विपरीत राशियों को नगद हस्तगत रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए l

6 निवेश:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त राशि उपलब्ध थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹22.73लाख का उपयोग न करना:

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1/ पैरा4(2)) के अनुसार दिनांक 31-03-18 को ₹22,72,539 की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया

गया। अतः अनुदानो की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इस राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.21 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व: स्त्रौतों से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/18 को गृह/संपत्ति कर एवं मोबाइल टावर शुल्क के रूप में वसूली हेतु ₹20,810/-(₹12,810 + ₹8,000) की राशि शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) गृह/ संपत्ति कर

वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2017-18	9100	17700	26800	13990	12810

(2) मोबाइल टावर शुल्क:

YEAR	OPENING BALANCE	DEMAND	Total	RECEIVED	BALANCE
2017-18		8000.00	8000.00	0.00	8000.00
No. of Towers 01 BSNL TOWER WITH ADDITIONAL JIO ANTENNA Outstanding Bal. on 01-04-17 is not known					

नोट: - मोबाइल टावरों की इन्स्टालेशन तथा दिनांक 01-04-17 को बकाया राशि संबंधी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही इस संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध करवाई गई कि ये टावर किस की भूमि पर, किस-2 तिथि से स्थापित हैं एवं इनका नवीनीकरण शुल्क

नियमानुसार नियमित रूप से प्राप्त हुआ है अथवा नहीं आदि तथ्यों का प्रमाण उचित स्त्रोत से/(भूमि मालिकों से) एकत्रित करते हुए तदानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

9 निर्माण कार्य के लिए जारी सामग्री में से शेष बची सामग्री का लेखांकन न करने के कारण ₹.02 लाख का अपव्यय:

मनरेगा रोकड़ बही के पृष्ठ 69 पर दर्ज कार्य "C/O RHWT श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री जगत राम अप्पर बगेहड़ा" की जांच करने पर पाया गया कि इस कार्य के लिए मै० विशाल शर्मा से दिनांक 06-07-17 को उनके बिल नं० 24 के अन्तर्गत ₹10.50 प्रति स्कवेर फुट की दर से 130 स्कवेर फुट रेत व ₹27.50 प्रति स्कवेर फुट की दर से 270 स्कवेर फुट बजरी का क्रय किया गया था जिसे स्टॉक रजिस्टर क्रमश: पेज संख्या 63 व 41 के अनुसार उक्त कार्य हेतु जारी किया गया दर्शाया गया था, किन्तु माप पुस्तिका 5367 के पेज 96 पर तकनीकी सहायक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार इस कार्य हेतु 105 स्कवेर फुट रेत व 210 स्कवेर फुट बजरी का उपयोग आँका गया था। इस प्रकार उक्त कार्य के लिए जारी निर्माण सामग्री रेत व बजरी की बकाया मात्रा क्रमश: 25(130-105) स्कवेर फुट व 60(270-210) स्कवेर फुट का समुचित लेखांकन पंचायत अभिलेख में नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त संदर्भ में ₹1913के अपव्यय को तथ्यों तथा आंकड़ों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹1913 की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेश संबंधी नियम 49(1)(2) के प्रावधानों का अनुपालना न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। अधिकांश बिलों/ वाउचरों की अदायगियाँ मात्र प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान आदेशों से ही की गईं थीं। जोकि उक्त नियम प्रावधानों की सरासर उलंघना है।

अत: हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के अनुसार भुगतान आदेशों को अंकित करना सुनिश्चित किया जाए I

12 बिल रजिस्टर का निर्माण न करना:

पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार सभी दावे प्रारूप 13 में बनाये जाने बाले रजिस्टर में प्रथमत: प्रविष्ट नहीं किये जा रहे हैं, अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: तुरंत प्रभाव से किसी भी प्राप्त बिल पर आगामी कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व उसकी प्रविष्टि प्रथमत: प्ररूप 13 में निर्मित बिल रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

13 उपस्थिति नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित न करने बारे:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के मस्ट्रोल संबंधी नियम 102 के प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव,

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उपस्थिति नामावली (मस्टररोल) संबंधी नियम प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित की जाए।

14 माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव व सत्यापन नियमानुसार न करना :-

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम प्रावधानों के अनुसार समय-2 पर निर्धारित मानकों अनुसार जांच संचालित करने एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण का प्रावधान है, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव एवं सत्यापन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है यद्यपि ये तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गईं परन्तु मापन पुस्तिका में हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम, 2002 के नियम 101,103(2),104(2)(i) व 105 की अनुपालना में किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया, न ही test check संचालित किये गये और न ही निर्माण कार्यों के निरीक्षण के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178   दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: उक्त नियमों की अनुपालना के अभाव में मूल्यांकन तथा भुगतानों का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त नियमों की अनुपालना हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31,72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बहियों का स्टाक रजिस्टर	4	13 (5)
2	विकास सकर्मों के निष्पादन का रजिस्टर	7	34
	हि० प्र० पंचायती राज(सामान्य) नियम, 1997		

3	अनुदान रजिस्टर हि० प्र० पंचायती राज	
(	सामान्य) नियम, 1997 8 34	
4	बिजली, पानी, टेलीफोन व डाक व्यय बिल रजिस्टर	
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर 10 33	, 77 (4)
6	बजट प्राक्कलन 11 , 12	37, 38
7	अनुपभोज्य मदों का स्टाक रजिस्टर 25 72 (1)	
8	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य मदों	
	का स्टाक रजिस्टर 26 72 (1)	ख
9	मुद्रित सामग्री का स्टाक रजिस्टर 27 72 (1) (	ग)
10	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी	
	आकलन का रजिस्टर 31 95 (1)	
11	लिवरी आर्टिकल्स का जांच पड़ताल रजिस्टर।	
12	गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।	
13	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर 101(2)(	v)
14	वर्गीकृत सार 8	29 (4)

16 प्रत्यक्ष-सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में बिद्द्यमानता/ उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :178 दिनांक 05-01-19 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपति विवरणिका:-** संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

18 **निष्कर्ष:-** संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)75/2019 खण्ड–1–2160–2163 दिनांक 14.03.2019 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बीर बगेहड़ा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046